न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 187/2016

1. गुरदीपसिंह
2. हरजीतसिंह } पिसरान जीवनदास जाति अरोड़ा निवासी दुकान नं.
3. सुरजीतसिंह } 10–11 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
4. परमजीतकौर पुत्री जीवनदास पत्नी भगतसिंह जाति अरोड़ा निवासी प्रेमनगर श्रीगंगानगर।
5. रणजीतकौर पत्नी सुखविन्द्रसिंह पुत्री जीवनदास जाति अरोड़ा निवासी 33 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र सन्तलाल जाति अरोड़ा निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. शान्ति देवी पत्नी हंसराज जाति अरोड़ा (पुन्यानी) निवासी गली नं. 8 वार्ड नं. 42 इन्दिरा कॉलानी मेन रोड़ श्रीगंगानगर।
3. माया देवी पत्नी बरकतराम जाति अरोड़ा (बुद्धिराजा) निवासी 40 ए मालवीर नगर नई दिल्ली 110017।
4. पाशो बाई पत्नी रमेश जुनेजा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 4 चादनी चौक बहादुरचन्द चौक के पास पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।
5. मुकन्दलाल पुत्र जवालादास –मृतक

5/1 जगदीश पुत्र मुकन्दलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 45 रविदास नगर श्रीगंगानगर।

5/2 सतनामदास पुत्र मुकन्दलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 45 रविदास नगर श्रीगंगानगर ।

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

5/3 यशपाल पुत्र मुकन्दलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 45 रविदास नगर श्रीगंगानगर।

5/4 मनोहरलाल पुत्र मुकन्दलाल जाति अरोड़ा निवासी वार्ड न. 45 रविदास नगर श्रीगंगानगर ।

5/5 सुदर्शना पुत्री मुकन्दलाल पत्नी अशोक उपनेजा निवासी राधा स्वामी संतसंग भवन के सामने पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये एस डी ओ (राजस्व) श्रीगंगानगर ।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 20.12.2012

उपस्थितिः–

श्री राजकुमार नागपाल अभिभाषक अपीलांट

श्री राजेश कुमार गुम्बर, अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 29.09.2017**

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद कमांक 269 दिनांक 20.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा चक 36 जीजी सैकण्ड के मु.न. 6 की 25 बीघा भूमि की सनद मतवालाराम, जीन्द बाई, शांतिदेवी, मायाबाई, मनोहरलाल, पारोबाई व मुकन्दलाल के नाम से जारी की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि भारत सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा मृतक मतवालचन्द को आवंटित हुई थी। आवंटी की मृत्यु के

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पश्चात उसका लड़का जीवनदास काबिज हो गया एवं जीवनदास की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान काबिज हो गये। अधी.न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने सनद मतवालराम, जीन्द बाई, शांतिदेवी, मायाबाई, मनोहरलाल, पारोबाई व मुकन्दलाल के नाम से जारी कर दी। अधी.न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किये बिना ही सनद जारी कर दी । विवादित भूमि अकेले मतवालचन्द को आवंटन हुई थी बाकी सदस्यों को नहीं । मतवालचन्द द्वारा ही किश्तें जमा करवाई गई है। रेस्पो. तो केवल मतवालचन्द के पास रहते थे इसलिए उनका नाम अंकित कर दिया गया है। रेस्पो. मतवालचन्द के पुत्र पुत्रियां नहीं है और न ही उसके विधिक वारिस है। अपीलार्थीगण मृतक मतवालचन्द के पोते/पोतियां है जो जायज वारिस है एवं सनद से प्रभावित है एवं अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट सुरजीतसिंह सनद जारी करवाने हेतु अधी.न्यायालय में दिनांक 15.07.2016 को गया तो पता चला जिस पर वकील से सम्पर्क कर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। अपीलार्थीगण को सनद जारी होने का ज्ञान था एवं आदेश की जानकारी किससे हुई उसका कोई उल्लेख नहीं है एवं न ही उसका कोई शपथ पत्र पेश किया है। अपीलांट ने देरी को माफ कराने हेतु दिन प्रति दिन का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा वकील रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी.न्यायालय में अपीलांट सुरजीतसिंह ने इस आशय का शपथ पत्र पेश कि विवादित भूमि मतवालचन्द को आवंटित होना एवं उसके वारिसान का

29/9/17 (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कब्जा काश्त होना बताया है एवं अपीलांट किश्तों की राशि जमा करवाना चाहता है जिसके बाबत वह कोई क्लेम नहीं करेगा। इस प्रकार अपीलांट ने जब यह स्वयं स्वीकार किया है कि मतवालचन्द को वारिसान का कब्जा काश्त है एवं उक्त भूमि मतवालचन्द को आवंटित हुई है तो मतवालचन्द के वारिसान के सनद जारी करने में अधी. न्यायालय ने कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट ने अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 20.12.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 2.08.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र पेश कर अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 15.07.2016 को होना बताया है जबकि वकील रेस्पों. ने इसका खण्डन कर जबाव प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व से ही थी। इस सम्बन्ध में अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध शपथ–पत्र दिनांक 23.07.12 जो अपीलांट सुरजीतसिंह ने पेश किया है, में अंकित है कि विवादित भूमि मतवालचन्द को आवंटित है एवं उसके वारिसान का कब्जा काश्त हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट सुरजीतसिंह को अधी.न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की जानकारी थी। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहां जा सकता कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पूर्व में जानकारी न हो । इस प्रकार दफा 5 मियाद के प्रा. पत्र में जो तथ्य अंकित किये है उनपर विश्वास नहीं किया जा सकता हैं अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

अपील का सार यह है कि जारी सनद दिनांक 20.12.2012 7 व्यक्तियों के नाम जारी होकर सभी Key person मतवालचन्द के परिवार के सदस्य दर्शाए है यह तथ्य अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज " Land allotment

29/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

certificate for displaced persons settled on land in ganganagar Due" जिसमें भी परिवार के सदस्यों एंव मुखिया से सम्बन्ध दर्शाए है तथा स्वयं मतवालचन्द द्वारा बहैसियत Affidavit मतवालचन्द का अगूंठा निशान एवं officer on Special duty(Senior Settlement officer) गंगानगर के हस्ताक्षर है जबकि अपीलांट ने रेस्पो. को मतवालचन्द के परिवार का सदस्य नहीं बनाकर सनद सिर्फ मतवालचन्द के नाम (अपीलांट) के नाम जारी करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। Senior Settlement officer द्वारा जारी certificate एवं सनद आधारित मतवालचन्द के परिवार के सदस्यो के सदस्यों के अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य, दस्तावेज नहीं है जो इस प्रमाण पत्र को अमान्य साबित करता हों।

अतः पत्रवली पर उपलब्ध प्रमाण पत्र जिसमें रेस्पो. को मतवालचन्द के परिवार के सदस्यों के रूप में पुत्र व पुत्रियों के रूप में दर्शया गया है। इसी अनुरूप सनद दिनांक 20.12.2012 में दर्शाया है जिसे न मानने का कोई कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील मियाद बाहर होने के साथ–साथ गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर